DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY SAKET SPORTS COMPLEX Saket, New Delhi-110017

दिल्ली विकास प्राधिकरण साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साकेत, नई दिल्ली-110017

No. F4(892)SSC/DDA/2022-23/Civil/389

Dated: 25/04/2023

<u>Notice Inviting Quotation No.01</u> कोटेशन आमंत्रण सचना संख्या 01

Online quotations are invited on behalf of Chairman, Delhi Development Authority for the following works at Saket Sports Complex. The quotation shall be uploaded in two parts, namely, 'Part -I' containing Technical Bid and 'Part – II' comprising 'Financial Bid'. The bid not uploaded in accordance with the prescribed manner will not be accounted for at all. Only those agencies/ Firm/ Person having undertaken similar work (Three or more similar nature of works each costing not less than 40% of the estimated cost put to quotation, or two similar works costing each not less than 60% of the estimated cost put to quotation, or one similar work costing not less than 80% of estimated cost put to quotation) during the last seven years in Government Department or Public Sector undertaking with annual turnover more than 30% of the estimated cost in each year during the immediate last three consecutive financial year ending March 2022 duly certified by Chartered Accountant are entitled to apply. A proof thereof should be upload with the Technical Bid. The quotationer should be registered with the Department of Trade & Taxes, GNCTD/GST and furnish a copy of registration with the tender.

अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन को दो भागों में अपलोड किया जाएगा, नामत: 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली है और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' शामिल है। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा। केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य किया हो (तीन या अधिक समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो, या दो समान कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 60% से कम न हो) सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पिछले सात वर्षों के दौरान कोटेशन के लिए, या एक समान कार्य की लागत अनुमानित लागत का 80% से कम नहीं) प्रत्येक वर्ष में अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक टर्नओवर के साथ मार्च 2022 को समाप्त होने वाले लगातार तीन वित्तीय वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन करने के हकदार हैं। उसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। कोटेशनदाता को व्यापार और कर विभाग, जीएनसीटीडी/जीएसटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

Name of work :- Maintenance of Various Sports Complexes / Golf Courses (M/o SSC, DDA) SH :- Supply of Items / Parts of Snooker/Billiards Table at SSC कार्य का नाम :- विभिन्न खेल परिसरों/गोल्फ कोर्स का रखरखाव (एम/ओ एसएससी, डीडीए) एसएच :- एसएससी में स्रूकर/बिलियर्ड्स टेबल के आइटम/पुर्जे की आपूर्ति।

Earnest money-Rs.5,000/-

Sr. No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Snooker Cloth 6811 32 oz West of England	2	Each		
2	Rubber Cushion NRC	2	Each		
3	Railing with Pocket Net	2	Each		
4	State Levelling and Bolt Charges	2	Each		
5	Fitting Charges	1	Job		
	Total Amount				

Quotation documents can be obtained / download on the e-tendering portal i.e. *website* <u>https://eprocure.gov.in/eprocure/app or www.dda.org.in</u> upto 04.05.2023 at 3.00 PM (last date of sale) and Opening of technical bid on 05.05.2023 at 3.30 A.M Earnest money amounting to <u>Rs. 5,000/-</u> and shall be deposited through RTGS/NEFT in the account of "CAU SPORTS DDA" having account No. 1614159849 with "Kotak Mahindra Bank, Gulmohar Park, New Delhi, (IFSC. KKBK0000184). The unique transaction reference of RTGS/NEFT shall have to be uploaded by the quotationer in the E-Tendering system by the prescribed date. The DDOs concern will get earnest money verified from their banks based on the unique transaction reference no. against each RTGS/NEFT payment before the tenders are opened.

कोटेशन दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app या www.dda.org.in पर 04.05.2023 अपराह्न 3.00 बजे (बिक्री की अंतिम तिथि) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं और तकनीकी बोली दिनांक 05.05.2023 को प्रातः 3.30 बजे खोलना, बयाना राशि रु. 5,000 / - और "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (IFSC. KKBK0000184) के साथ खाता संख्या 1614159849 वाले" सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए "के खाते में आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। आरटीजीएस/एनईएफटी के विशिष्ट लेनदेन संदर्भ को कोटेशनदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-निविदा प्रणाली में अपलोड करना होगा। संबंधित डीडीओ अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या के आधार पर अपने बैंकों से बयाना राशि का सत्यापन करवाएंगे। निविदा खोले जाने से पहले प्रत्येक आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान के लिए।

<u>Technical Bid (First cover)</u> तकनीकी बोली (पहला कवर)

The quotations are required to furnish following documents in technical bid:-

- i. Scanned copy of reference of RTGS/NEFT/IMPS of Earnest Money deposited. जमा की गई बयाना राशि के आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के संदर्भ की स्कैन कॉपी।
- ii. Scanned copy of PAN No. पैन नंबर की स्कैन कॉपी।
- iii. Scanned copy of GST Certificate. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
- iv. Scanned copy of Experience Certificate as per NIQ conditions. NIQ शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- v. Scanned copy of Proof of registration in Contractors Registration Board (CRB) of DDA. डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- vi. Scanned copy of Turnover Certificate duly certified with UDIN generated by Chartered Accountant/CA firm. चार्टर्ड एकाउंटेंट/सीए फर्म द्वारा जनरेट किए गए यूडीआईएन के साथ विधिवत प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई कॉपी।

<u>Financial Bid (Second cover)</u> वित्तीय बोली (दूसरा कवर)

Schedule of Financial bid in the form of BoQ_XXXXX.xls. BoQ_XXXXX.xls के रूप में वित्तीय बोली की अनुसूची।

Note (1): - The intending tenderer should ensure before tendering in DDA that the requisite fee has been already deposited with CRB.

नोट (1):- इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपेक्षित शुल्क पहले ही सीआरबी के पास जमा करा दिया गया है।

Note (2): - <u>No Hard copy</u> of any document will be required to be submitted by the tenderers till the opening of the tenders. Hard Copies of relevant documents will be required from the lowest tenderer only.

नोट (2):- निविदा खुलने तक निविदाकर्ताओं को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी सबसे कम निविदाकर्ता से ही आवश्यक होगी।

Note (3):- For terms and conditions, eligibility criteria of specialized work, the manner in which Earnest Money, cost of tender, etc., are to be deposited through RTGS mode and other information/instructions, please visit DDA's website <u>https://eprocure.gov.in/eprocure/app or www.dda.org.in</u>. For any assistance on e-tendering please contact concerned EE or <u>M/s N.I.C. on email cppp-nic@nic.in</u> or 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 & 01206277787 or send a mail over to – support- <u>eproc@nic.in</u>.

नोट (3):- निबंधन एवं शर्तों, विशिष्ट कार्य के पात्रता मानदंड, बयाना राशि, निविदा की लागत आदि को आरटीजीएस मोड के माध्यम से जमा करने के तरीके और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट https: //eprocure.gov.in/eprocure/app या www.dda.org.in I ई-निविदा पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित ईई या मैसर्स एन.आई.सी. ईमेल cppp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 01206277787 पर ईमेल करें या ईमेल करें- support- eproc@nic.in

TERMS & CONDITIONS: -

- 1. The work shall be done as per specifications.
- 2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
- 3. The payment will be made after entire satisfaction of RE(C)/Secretary/SSC, DDA.
- 4. No T & P will be issued by Department.
- 5. No advance payment will be made to the agency.
- 6. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
- 7. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time as work is found to be substandard.
- 8. Conditional quotation will not be accepted.
- 9. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
- 10. 10% Security Deposit will be deducted from the tender amount.
- 11. No minor shall be engaged at site.
- 12. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
- 13. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
- 14. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
- 15. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
- 16. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
- 17. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
- 18. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/SSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the supply order/ to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.
- 19. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/ surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/shall be made good at agency's risk and cost.
- 20. If any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the competent Authority finds that the default has been willful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
- 21. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, Resident Engineer (Civil) and AAO of the complex.
- 22. The experience of agencies should be taken into rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
- 23. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.
- 24. The work should be completed within 15 days after issue of work order.
- 25. No firm(s), Enterprises, Association of enterprises having same owner, partner or significant shareholder/promoter shall participate in the tendering process with the intentions of gaining undue advantage and causing adverse impact on the competition withing India. The relevant provisions of the Companies Act, the Competition Act, CVC guidelines or any other guidelines issued by the government time to time, need to be adhered and any violation will be considered as deemed illegal. Such tender bids shall be summarily rejected and action shall be initiated against the firms as deemed fit.
- 26. In the event of force majeure, act of nature, unforeseen accident application of any new law, any government guideline etc. that has the effect of reducing the scope of the work or at once halting of work altogether, the DDA reserve the right to suspend or terminate the contract with immediate effect without giving any notice. In such an even, DDA will not redeem any party or liable to pay any damages to contractor(s), its affiliated, any third party, labour's etc. for any loss due to such pre-closure,

suspension or termination of the contract.

<u>नियम एवं शर्तें: -</u>

- 1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होने चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
- 3. आरई (सी)/सचिव/एसएससी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद भुगतान किया जाएगा।
- विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
- 5. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आयुक्त (खेल) के पास संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है निर्धारित समय में काम घटिया पाया जाता है।
- 8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9. आवश्यक सांविधिक कटौतियां यथा लागू की जाएंगी।
- 10. 10% सुरक्षा जमा राशि निविदा राशि से काट ली जाएगी।
- 11. साइट पर किसी भी अवयस्क को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 12. विभाग द्वारा एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 13. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
- 14. प्रतिबंधित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई बदनाम प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
- 15. जिस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, उसे किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से मुख्तारनामा हो। प्रतिबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली कोई भी एजेंसी भी प्रतिबंधित करने के लिए उत्तरदायी है।
- 16. एजेंसी के साथ शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
- 17. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
- 18. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा काम नहीं किया जाता है, तो यह सचिव / एसएससी के विवेकाधिकार पर होगा कि वह सचिव को उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले या आपूर्ति आदेश को रद्द करने के लिए मद के काम को स्वीकार करे। / कार्य के एवज में किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना राशि जब्त करने के लिए या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी फोरम के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाता है, तो यह सचिव / एसएससी के के काम को स्वीकार करे। / कार्य के एवज में किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना राशि जब्त करने के लिए या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी फोरम के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
- 19. कार्य के सम्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि साइट/आस-पास कोई नुकसान/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों पर ठीक किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर भरपाई की जाएगी।
- 20. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावना से की गई है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा और निविदाकर्ता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 21. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्पलेक्स के सचिव, रेजिडेंट इंजीनियर (सिविल) और कॉम्प्लेक्स के एएओ की एक समिति द्वारा ड्रा निकाला जाएगा। .
- 22. एजेंसी के साथ शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
- 23. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वास्तविक समय के फीडबैक के आधार पर, जब भी सेवा में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे सुधारने के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
- 24. कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 25. कोई भी फर्म, उद्यम, एक ही मालिक, भागीदार या महत्वपूर्ण शेयरधारक/प्रवर्तक वाले उद्यमों का संघ अनुचित लाभ प्राप्त करने और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। कंपनी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, सीवीसी दिशानिर्देशों या समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देशों के संबंधित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है और किसी भी उल्लंघन को अवैध माना जाएगा। ऐसी निविदा बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उचित समझी जाने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- 26. अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, प्रकृति का कार्य, किसी नए कानून के अप्रत्याशित दुर्घटना आवेदन, किसी भी सरकारी दिशानिर्देश आदि का प्रभाव काम के दायरे को कम करने या एक बार काम को पूरी तरह से रोकने के लिए, डीडीए अधिकार सुरक्षित रखता है बिना कोई नोटिस दिए तत्काल प्रभाव से अनुबंध को निलंबित या समाप्त करने के लिए। ऐसी स्थिति में भी,

डीडीए किसी भी पक्ष को नहीं भुनाएगा या अनुबंध के ऐसे पूर्व-समापन, निलंबन या समाप्ति के कारण किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार(ओं), उसके संबद्ध, किसी तीसरे पक्ष, श्रमिकों आदि को किसी भी नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

Resident Engineer (Civil) / SSC रेजिडेंट इंजीनियर (सिविल) / एसएससी

Copy to:-

- 1. Commissioner (Sports), DDA-For information please.
- 2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in
- 3. Sr. A.O. (Sports), DDA.
- 4. Secretary / SSC
- 5. All Secretaries of the DDA Sports Complexes
- 6. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi
- 7. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A, Vikas Kuteer, New Delhi.
- 8. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306, Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
- 9. AAO / SSC.
- 10. Notice Board.

<u>में कॉपी:-</u>

- 1. आयुक्त (खेल), डीडीए कृपया जानकारी के लिए।
- 2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddateender@dda.org.in
- 3. वरिष्ठ ए.ओ. (खेल), डीडीए।
- 4. सचिव / एसएससी
- 5. डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सचिव
- डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
- 7. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
- 8. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, पार्ट-II, नई दिल्ली।
- 9. एएओ/एसएससी।
- 10. नोटिस बोर्ड।

Resident Engineer (Civil) / SSC रेजिडेंट इंजीनियर (सिविल) / एसएससी